कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **गृह विज्ञान** के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (सर्वश्री/श्रीमती)	कहां से (राउमावि)	जिला	कहां को (राउमावि)	जिला
1	Shilpi Sharma	G.SR. SEC.SCHOOL HATHDOLI	S.MADHOPUR	Office of the District Institute for Education and Training, Chunawat	GANGANAGAR
2	Kanchan Arora	GG SSS, LUNI	JODHPUR	GG SSS TIBBI	HANUMANGARH

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। **RVRES** कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/गृहविज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक– 29/09/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दपर्ण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
9 सम्बन्धित कार्मिक
10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर